

प्रदेश में 2 हजार टैक्स मतिर होंगे नयिक्त

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नयोजन की योग्यताओं तथा शुल्क नरिधारण संबंधति प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलयित देने के लयि राज्य सरकार प्रदेश में 2 हजार टैक्स मतिर नयिक्त करेगी।

प्रमुख बदि

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यवहारियों को सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी की प्रथम स्तरीय सुवधि उपलब्ध कराने के लयि आर्टफिशियल इंटेलीजेंस आधारति 'ई-टैक्स ऑफसिर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म' वकिसति करने की स्वीकृति भी दी है।
- मुख्यमंत्री की उक्त मंजूरी के बाद अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और मूल्यवर्धति कर (वैट) जमा कराना आसान हो जाएगा।
- टैक्स मतिर के लयि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणजिय में स्नातक रखी गई है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए सहति अनुभवी आवेदकों को प्राथमकित्ता मलैगी। आयु 21 से 40 वर्ष नरिधारति की गई है।
- टैक्स मतिरों द्वारा वभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लयि शुल्क लयिा जाएगा। इस शुल्क का भी नरिधारण कयिा गया है। इसमें जीएसटी, वैट आवेदन, संशोधन, आईटीसी, ई-वे बलि, सब्सिडी आवेदन, एमएसएमई आवेदन सहति अन्य कार्यों के लयि 50 रुपए से 400 रुपए तक का शुल्क रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में जीएसटी एवं वैट आवेदन प्रक्रियाओं में सुगमता के लयि इस संबंध में घोषणा की गई थी।